



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928



संख्या : 1016-पै0एवंआर0-28/पाकालि/16-31-पै0एवंआर0/18

दिनांक : 29 अगस्त, 2018

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा,
केस्को, कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/

मुख्य अभियन्ता (जानपद-वितरण/पारेषण),

मुख्य महाप्रबन्धक(लेखा प्रशा0),

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन,
लखनऊ।

अध्यक्ष,

विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0पा0का0लि0,

एस0एल0डी0सी0 परिसर,

विभुतिखण्ड, फेज-2, गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय : ऐसी सेवाएं जो पूर्व में सरकारी विभागों, निगमों तथा परिषदों इत्यादि के द्वारा स्वयं प्रदान की जा रही थीं अथवा कार्यालयों के रख-रखाव का कार्य स्वयं किया जा रहा था किन्तु अब अनुबन्ध के आधार पर Out-Sourcing के माध्यम से सम्पन्न कराये जाने के कारण उत्पन्न होने वाले रोजगार में आरक्षण सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2018 को सम्पन्न हुई थी, जिसमें मा0 समिति ने यह अपेक्षा की है कि "कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 23 जनवरी, 2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आउटसोर्सिंग के आधार पर कराए जाने वाले कार्यों के लिए किए जाने वाले अनुबन्ध में इस निदेश को सम्मिलित कर लिया जाए कि इस प्रकार उत्पन्न कुल रोजगार का 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, 02 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रदान किया जाए।"

2. तदनुसार शासनादेश संख्या : 4/1/2008-का-2-2008, दिनांक 23 जनवरी, 2008 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसी सेवाएं जो पूर्व में उनके द्वारा स्वयं प्रदान की जा रही थी, अथवा अपने कार्यालयों के रख-रखाव का कार्य स्वयं किया जा रहा था यदि अनुबन्ध (Out-Sourcing) के आधार पर सम्पन्न कराये जाते हैं तो ऐसे कार्यों हेतु होने वाले करार में यह भी सन्निहित होगा कि इस प्रकार उत्पन्न कुल रोजगार का 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, 02 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को प्रदान किया जाए।

3. तथापि चूंकि विद्युत उत्पादन, पारेषण सहित विद्युत वितरण आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत आता है तथा बहुधा उपकेन्द्र स्तर पर विद्युत आपूर्ति अनुरक्षण कार्य में ही आउटसोर्सिंग होती है-एवम् कार्मिकों की कमी के कारण विद्युत की समुचित आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में जन आक्रोश हो सकता है, अतः आरक्षित श्रेणी के कुशल एवं उपयुक्त अभ्यर्थी निर्धारित संख्या में न मिल पाने की स्थिति विशेष में सेवा प्रदाता अनारक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को कार्य पर लगा सकता है।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

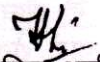
(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0)

संख्या : 1016-पै0एवंआर0-28/पाकालि0/18 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
02. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
03. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
04. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-। एवं स्तर-।।), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
05. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
06. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
07. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
08. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,


(सै0मो0जाकिर अली काजमी),
अपर सचिव (तृतीय)

प्रेषक,

जे० एस० दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2008

विषय :- ऐसी सेवाएं जो पूर्व में सरकारी विभागों, निगमों तथा परिषदों इत्यादि के द्वारा स्वयं प्रदान की जा रही थीं अथवा कार्यालयों के रख-रखाव का कार्य स्वयं किया जा रहा था किन्तु अब अनुबन्ध के आधार पर Out-sourcing के माध्यम से सम्पन्न कराये जाने के कारण उत्पन्न होने वाले रोजगार में आरक्षण सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

कानून,
अनुभाग - 2

अधिकांश कि प्रशासनिक व्यय में गिरावट आने संबंधी अन्यान्य निर्देशों के साथ-साथ यह भी निर्देश प्रसारित है कि सामान्यतया नये पद सृजित न किये जायें, और जहां कहीं आवश्यकता हो अनुबन्ध Out-sourcing पर कार्य कराया जाय। शासन के उक्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों तथा परिषदों इत्यादि के द्वारा ऐसी सेवाएं जो पूर्व में उनके द्वारा स्वयं प्रदान की जा रही थीं अथवा अपने कार्यालयों के रख-रखाव का कार्य स्वयं किया जा रहा था तथा अब उसे अनुबन्ध (Out-sourcing) के आधार पर सम्पन्न कराया जा रहा है या भविष्य में भी इस प्रकार अनुबन्ध (Out-sourcing) के आधार पर कार्य सम्पन्न कराये जायें उनमें भी रोजगार के तमाम अवसर सुलभ होंगे।

2-वर्तमान सरकार की प्रमुख प्रतिवद्धता प्रदेश के सर्वसमाज के लोगों को रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की रक्तियों को एक अभियान चलाकर भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्तानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को देखते हुए कर्मियों के सेवायोजन के अवसरों एवं तदक्रम में आरक्षित पदों में कर्मों की सम्भावना न हो इस हेतु ऐसी स्थिति में सृजित होने वाले रोजगार में भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

3-अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी विभागों, निगमों तथा परिषदों इत्यादि के द्वारा ऐसी सेवाएं जो पूर्व में उनके द्वारा स्वयं प्रदान की जा रही थीं, अथवा अपने कार्यालयों के रख-रखाव का कार्य स्वयं किया जा रहा था यदि अनुबन्ध (Out-sourcing) के आधार पर सम्पन्न कराये जाते हैं तो ऐसे कार्यों हेतु होने वाले करार में यह भी सन्निहित होगा कि इस प्रकार उत्पन्न कुल रोजगार का 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, 02 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को प्रदान किया जाय। उक्त व्यवस्था लोक निर्माण, सिंचाई, ग्राम्य विकास इत्यादि विभागों के ऐसे कार्यों में लागू नहीं होगी जो परम्परागत रूप से ठेके के आधार पर सम्पन्न कराये जाते हैं।

4-उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जे० एस० दीपक,
प्रमुख सचिव।

संख्या--4/1/2008--का-2-2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3-सचिवालय के रागस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
बी० एन० दीक्षित,
सचिव।